रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256365 CG-DL-E-14082024-256365

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3137]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2024/ श्रावण 22, 1946

No. 3137] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2024/SHRAVANA 22, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

का.आ. 3452(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1654 (अ), तारीख 19 मई, 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

5145 GI/2024 (1)

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1654 (अ), तारीख 19 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1654 (अ) द्वारा, तारीख 19 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"5. मानीटरी समिति. – (1) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(i)	जिला कलेक्टर पुरी, ओडिशा सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पुलिस अधीक्षक, पुरी	सदस्य, पदेन;
(iii)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर ओडिशा सरकार द्वारा नामित किया जाता है।	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को ओडिशा सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	सदस्य-सचिव या सदस्य, ओडिशा राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(vi)	तहसीलदार, गोप	सदस्य, पदेन;
(vii)	कार्यकारी अधिकारी, पुरी नगर पालिका, पुरी	सदस्य, पदेन;
(viii)	कार्यकारी अधिकारी, कोणार्क अधिसूचित क्षेत्र परिषद, कोणार्क	सदस्य, पदेन;
(ix)	क्षेत्रीय अधिकारी, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(x)	प्रभागीय वन अधिकारी, पुरी वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।"

- 6. मानीटरी समिति के कार्य. (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनाप्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) उन क्रियाकलापों की, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्घ विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-III** में निर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी. जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/40/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1654 (अ) तारीख 19 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2024

S.O. 3452(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary, Odisha in the Gazette of India,

Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number number S.O. 1654(E), dated the 19th May, 2017;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.1654(E), dated the 19th May, 2017;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1654(E), dated the 19th May , 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

- "5. **Monitoring Committee**. The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-
 - (i) The District Collector Puri, Government of Odisha ChairmanZ ex officio;
 - (ii) Superintendent of Police, Puri –Member, ex officio;
 - (iii) A representative of Non-governmental Organisation Member; working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha from time to time every three years.
 - (iv) One expert in the area of ecology and environment Member; to be nominated by the Government of Odisha from time to time every three years.
 - (v) Member-Secretary or Member, Odisha State –Member, ex officio; Biodiversity Board
 - (vi) Tahasildar, Gop Member, ex officio;
 - (vii) Executive Officer, Puri Municipality, Puri Member, ex officio
 - (viii) Executive Officer, Konark Notified Area Council, –Member, ex officio; Konark
 - (ix) Regional Officer, Odisha State Pollution Control –Member, ex officio; Board
 - (x) Divisional Forest Officer, Puri Wildlife Division —Member Secretary, ex officio.

- 6. **Functions of the Monitoring Committee.** (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in subparagraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
 - (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-III**.
 - (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/40/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1654(E), dated the 19th May, 2017.